

कार्यालय

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

ਲਾਖਨਊ: ਦਿਨਾਂਕ: 30/08/2022

कार्यालय ज्ञाप-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फारमसी काउन्सिल और इडलिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु लिखितोंमा सारांश तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्राप्त किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उम्मीद लहरनाला से सम्बद्धता विकार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक - 30.08.2022 को परिषिद्ध कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से सचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विकार/पाराट्रांसफर प्रवेश क्षमता द्वारा सहित अन्य मद्दी पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विकार प्रदान किये जाने का नियमित विवरण।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये नियर्य के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपील जारी की गई। इसके अनुसार उसमें अधिकतम अवधि का विद्युत विभाग एवं उसमें अधिकृत प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विभाग प्रदान की जाती है।

संस्था का कोड एवं नाम : 1330-COLLEGE OF PHARMACY, RAJ KUMAR GOEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 5 KM STONE, DELHI MEERUT ROAD, GHAZIABAD

प्र०स०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०४० पौरी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्ते

- ✓ संस्था पर आईसीसीटी०१००/पीसी०३० द्वारा निपरित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
 - ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा १९८२ तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली १९९२, विनियमावली २०००, सेमेस्टर विनियमावली २०१६ तथा सम्पर्य पर निर्गत शासनादेशों के अनुपालन करेगी तथा शासनादेशों के अनुपालन करेगी। द्वारा निर्गत शुल्क तीन वर्षीय पर ३०१५००/- प्रतिवर्ष और दो वर्षीय कार्यमौसी परामर्शदाता कम है तब रु. ४०,०००/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यमौसी परामर्शदाता के अंतरिक्ष)। हेतु रु.००-२२५००/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रलेख क्षात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अंतरिक्ष क्षात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में सम्पर्य पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। कीफी निर्धारण सम्मिलि द्वारा यदि सत्र २०२२-२३ हेतु कीफी का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो कीफी की नवीनीकृत दरों लागू होंगी।
 - ✓ संस्था ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवाहित क्षात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
 - ✓ संस्था को सम्पर्य-सम्पर्य पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं संबद्धता शुल्क जमा करना होगा।
 - ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि-नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं नियंत्रणक, प्राविधिक शिक्षा उप्र० संस्कृत प्रवेश परीक्षा परिषद, उप्र०० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उप्र०० द्वारा बनाए गए नियमों, विनियमों, आदेशों एवं नियंत्रणों के विरुद्ध व्यापकीय हो।

प्रिया
एफ० आर० साह

३५

मार्गदर्शक संख्या: 2022/7818-8155

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि

प्रातिलिपि-
प्रश्नाचार्य/निदेशक, COLLEGE OF PHARMACY, RAJ KUMAR GOEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 5 KM
STONE, DELHI MEERUT ROAD, GHAZIABAD

एफ० आर० खान

